

कार्यालय नगर पंचायत डोमचाँच

संविदा आधारित नियुक्ति

संविदा के आधार पर टैली आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली संधारण करने तथा लेखा संबंधी आंकड़ों की प्रविष्टि तथा लेखा बही तैयार करने एवं अन्य करने हेतु पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन :- नगर पंचायत, डोमचाँच नगर पंचायत के लेखा प्रणाली की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली द्वारा संधारण करने हेतु निकाय स्तर पर लेखा संबंधी आंकड़ों की प्रविष्टि तथा लेखा बही तैयार करने के लिए लेखापाल का संविदा के आधार पर नियोजन हेतु निम्नवत् आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

क्र०सं०	पदनाम	कुल पद	मानेदय राशि
01	लेखापाल	01	15000./प्रति माह

संविदा शर्तों के आधार पर उपर्युक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदक अपना आवेदन अपने बायोडाटा, जन्म तिथि प्रमाण पत्र सभी शैक्षणिक योग्यता-पत्र, सभी अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, दो अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ एवं Self Address Envelope with postage stamp दिनांक 22.06.2023 को अपराह्न 5:00 बजे तक नगर पंचायत डोमचाँच कार्यालय में समर्पित करेंगे।

नियुक्ति हेतु निम्नलिखित अहर्ता होना आवश्यक है :-

1. Education Qualification and Experience of Accountant

- The Candidate should have graduate degree in commerce from a recognized University with experience of tally based computerized accountant system.
- He must have prepared computerized books of accounts through tally software of a reputed company/organization.
- The candidate should be of less than 45 years of age.
- The candidate should have good communication skill and exposure to valuation of assets and capable of preparing requisite books of accounts on the instruction of Chartered Accountant.

नियम एवं शर्तें :-

- आवश्यकतानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों को योग्यता एवं अनुभव के आधार पर Short Listing की जा सकती है। यह नियोजन एवं वर्ष (पूर्ण रूप से अस्थायी) के लिए की जायेगी। भविष्य में आवश्यकतानुसार दक्षता एवं कार्य क्षमता पर सेवा विस्तारित भी की जा सकती है।
- संविदा/ मानदेय के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक के अनुमान्य किसी भी सुविधा के लिए से हकदार नहीं होंगे।

3. संविदा/मानदेय के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
4. नियोजन के पूर्व नियमानुसार आवेदक को अपना अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा, जो सक्षम स्तर से निर्गत हो
5. यदि समय की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं किया जाता है, तो ऐसे नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। तथा कोई नवीन आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
6. इस प्रकार के नियोजन संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा सूचना देकर ही एक माह की संविदा राशि एकमुश्त भुगतान कर समाप्त की जा सकती है, इसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
7. बिना कारण बताये नियोजन की स्वीकृति /रद्द का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होग।
8. भविष्य में सरकार द्वारा निर्गत आदेश/ निर्देश मान्य होग।

ह0/-


प्रशासक,

नगर पंचायत डोमचाँच


ज्ञापांक-643/दिनांक-15/06/2023

प्रतिलिपि:- जिला जन संपर्क पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उक्त संविदा को तीन दैनिक अखबारों में प्रकाशित की जाए।

प्रतिलिपि:-डाक बन्दोबस्ती आम सूचना की सॉफ्ट कॉपी जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि koderma.nic.in के Website पर अपलोड करने की कृपा की जाय।


15-06-23
प्रशासक,

नगर पंचायत डोमचाँच

(SK)
15/06/23 
15/06/23